

डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 10/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 10/2022-23

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

जारी करने की तारीख: 30.06.2022

सेवा	:	ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता	:	मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड
हवाईअड्डा	:	बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्वर
हवाईअड्डा प्रचालक	:	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 1.7. 2022 से 31.3.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड (आईबीपीएल) ने दिनांक 24.09.2021 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि मैसर्स इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईएएमएसपीएल) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) चयन प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 10 वर्ष की अवधि के लिए चुन लिया गया है। दिनांक 19.02.2021 के आशय पत्र (एलओआई) के खंड 5 के अनुसार विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) "आईबीपीएल" को 24.03.2021 को निगमित कर दिया गया है।

2. तत्पश्चात आईबीपीएल ने दिनांक 18.05.2022 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि उन्हें भुवनेश्वर हवाईअड्डे पर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित समान टैरिफ तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनके ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन 01.07.2022 से प्रारंभ होने तय हैं:

- (i) एएआई द्वारा जारी दिनांक 19.02.2021 के एलओआई संख्या एएआई/ओपीएस/जीएचएस/12/बी1/2020/78 की प्रति
- (ii) एसपीवी "इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड" के निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- (iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी की गई सुरक्षा अनुमति की प्रति

3. प्राधिकरण नोट करता है कि एसपीवी "आईबीपीएल" ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) के दिनांक 13.05.2022 के आदेश द्वारा बीसीएस की सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है, जो सुरक्षा अनुमति जारी करने की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की अवधि तक वैध है। इसके अतिरिक्त आईबीपीएल ने दिनांक 28.06.2022 की ई-मेल द्वारा एएआई और आईबीपीएल के बीच निष्पादित दिनांक 19.05.2022 के रियायत करार की प्रति प्रस्तुत की है।

4. प्राधिकरण आईबीपीएल के अनुरोध की जांच करने पर यह महसूस करता है कि आईएसपी द्वारा एमवाईटीपी प्रस्तुत करने और भुवनेश्वर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने में थोड़ा समय लगेगा। प्राधिकरण अंतरिम व्यवस्था के रूप में मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड को एआईएसएल, भुवनेश्वर के लिए यथा अनुमोदित (देखें: दिनांक 25.03.2021 के अंतरिम आदेश संख्या 67/2020-21 और दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 18/2021-22 के साथ पठित दिनांक 14.02.2020 का आदेश संख्या 23/2019-20) मौजूदा टैरिफ 01.07.2022 से 31.03.2023 तक, या, नियमित ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्त्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि :

- (i) मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड को बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्वर में 01.07.2022 से 31.03.2023 तक, या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक-I के अनुसार एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएसएल) नामक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के लिए यथा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेडल्यूड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ ‘समान श्रेणी के विमान (नों)’ की संगत अंतरदेशीय शेडल्यूड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
- (iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।
- (iv) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)

सचिव

सेवामें,

श्री विकास लाडिया, निदेशक,
इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड,
फ्लैट संख्या 404, बालभद्रा टावर –I, जिला- खुद्रा,
भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा -751002

प्रतिलिपि,

- 1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
- 2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
- 3) हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हवाईअड्डा रोड, एयरोड्रम एरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा -751020

